

- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थनों में मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन कि एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उ दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना में प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

1	2	पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
		3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खेता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
मीठियावाट	69	अगदीडा पुत्र	560	1-13	अगदीडा प्रसाद पुत्र	560	1-13
		आशीवथ नाम जाति	628	1-62	आशीवथ नाम जाति	628	1-62
		बखानेश्वर इहान	2	2-15	देव खानेश्वर इहान बखानेश्वर जाति	2	2-15

क्रमांक :- 446  
21-X-21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी  
शिविर प्रभारी  
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)  
D.K.S.A. P.O., P.S. मौलासर  
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का

पालना सुनिश्चित करें।

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार

उप तहसीलदार, मौलासर